



प्रेषक,

वित्त अधिकारी
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ।

सेवा में,

1. कुलपति/अध्यक्ष
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक: 1662/पत्रा.सं.-57/बै०वि०समिति/2021-22 लखनऊ दिनांक 24 नवम्बर, 2021

विषय: डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की वित्त समिति की 25वीं बैठक दिनांक 20.10.2021 के कार्यवृत्त प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की वित्त समिति की दिनांक 20.10.2021 को सम्पन्न 25वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,


(सजय सिंह)
वित्त अधिकारी

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

के वित्त समिति की

पच्चीसवीं बैठक दिनांक: 20.10.2021 का कार्यवृत्त

समय -	अपराह्न: 12:00 बजे
स्थान -	पंचम तल स्थित सभागार डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की वित्त समिति की पच्चीसवीं बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही।

बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

एजेण्डा बिन्दु सं०	कार्यवाही
1/25	दिनांक 21.06.2021 को सम्पन्न वित्त समिति की चौबीसवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि। निर्णय:- वित्त समिति द्वारा दिनांक 21.06.2021 को सम्पन्न हुई 24वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/25	दिनांक 21.06.2021 को सम्पन्न वित्त समिति की चौबीसवीं बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या। निर्णय:- वित्त समिति द्वारा उपरोक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया एवं विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कार्मिकों को स्वास्थ्य कल्याण सम्बन्धी बीमा योजना से आच्छादित किये जाने हेतु कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश प्रदान किये गये।
3/25	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु विश्वविद्यालय प्रयोगार्थ वेतन एवं गैर वेतन की मदों में उ०प्र० शासन से की गयी माँग पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।
	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अनुदान सं०-79 के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-30-डॉ० शकुन्तला मिश्रा उ०प्र० विश्वविद्यालय के अन्तर्गत शासन द्वारा मानक मद संख्या-31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में धनराशि रू० 2332.00 लाख एवं मानक मद संख्या-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मद में धनराशि रू० 1000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। इसी क्रम में समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में 29 विभाग क्रियाशील है, जिसके अन्तर्गत शैक्षिक संवर्ग के 81 एवं गैर शैक्षिक संवर्ग के 78 कार्मिक कार्यरत हैं। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक संवर्ग के कार्मिकों के वेतन का भुगतान कराने हेतु वेतन मद में धनराशि रू० 3000.00 लाख का प्राविधान कराने हेतु उ०प्र० शासन से माँग की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त उल्लिखित विभागों के कुशलतापूर्वक संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गैर वेतन मद में धनराशि रु0 1100.00 लाख, कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के संचालन संबंधी नैतिक कार्यों हेतु धनराशि रु0 400.00 लाख तथा विशिष्ट स्टेडियम के संचालन संबंधी नैतिक कार्यों यथा-कार्यालय व्यय, विद्युत व्यवस्था, साफ-सफाई, खेलकूद सामग्री, सामग्री सम्पूर्ति, प्रयोगशाला/उपकरण संबंधी क्रय, सेवा प्रदाता एजेन्सी को भुगतान तथा उपकरणों के अनुरक्षण तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं के खेलों की ट्रेनिंग आदि के लिए गैर वेतन मद में धनराशि रु0 400.00 लाख की मांग उ0प्र0 शासन से की गयी है।

निर्णय:-वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु विश्वविद्यालय प्रयोगार्थ वेतन मद में धनराशि रु0 3000.00 लाख एवं गैर वेतन मद में धनराशि रु0 1900.00 लाख की मांग उ0प्र0 शासन से किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

4/25

विश्वविद्यालय में 01 अतिरिक्त एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण के सम्बन्ध में।

समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में निर्मित दो एकेडमिक ब्लॉक में 8 संकायों के अन्तर्गत 29 विभागों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पठन-पाठन का कार्य संचालित किया जा रहा है। आगामी शैक्षणिक सत्र से कतिपय नये पाठ्यक्रमों को संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में कार्यदायी संस्था कन्सल्टेशन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के परियोजना प्रबन्धक द्वारा पत्रांक-397/कार्य-01/15, दिनांक 02.06.2021 द्वारा एकेडमिक ब्लॉक-03 के निर्माण हेतु विस्तृत आगणन प्रस्तुत करते हुए अनुमानित लागत धनराशि रु0 4998.62 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 24वीं बैठक, जो दिनांक 21 जून, 2021 को आहूत की गयी थी एवं विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की 29वीं बैठक, जो दिनांक 25 जून, 2021 को आहूत की गयी थी, में 01 अतिरिक्त एकेडमिक भवन ए-3 के निर्माण कार्य संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। आगामी शैक्षणिक सत्रों में विद्यार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि होगी, जिसके दृष्टिगत कक्षाओं के संचालन हेतु अतिरिक्त भवन की आवश्यकता के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु विश्वविद्यालय में 01 अतिरिक्त एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण के लिए अनुदान संख्या-79 के लेखा शीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण के 19-डा0 शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय के मानक मद 24-वृहद् निर्माण कार्य या सुसंगत मद के अधीन अल्प धनराशि रु0 10.00 करोड़ का बजट प्राविधान कराने हेतु उ0प्र0 शासन से मांग की गयी है, जिस पर वित्त समिति से अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:-वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु विश्वविद्यालय में 01 अतिरिक्त एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण के लिए प्रथम चरण में अल्प धनराशि रु0 10.00 करोड़ की मांग उ0प्र0 शासन से किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

5/25

विश्वविद्यालय में 01 अतिरिक्त महिला छात्रावास निर्माण के सम्बन्ध में।

वित्त समिति को अवगत कराया गया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप विश्वविद्यालय परिसर में 400 छात्राओं के लिए 200 कक्षों की क्षमता का 01 अतिरिक्त महिला छात्रावास (जो पूर्ण रूप से दिव्यांगन हितैषी हो) निर्मित किया जाना है, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखा शीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण के 19-डा0 शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय के मानक मद 24-वृहद् निर्माण कार्य या सुसंगत मद के अधीन अल्प धनराशि रु0 5.00 करोड़ का बजट प्राविधान कराने हेतु उ0प्र0 शासन से मांग की गयी है, जिस पर वित्त समिति से अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय:-वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु विश्वविद्यालय परिसर में 01 अतिरिक्त



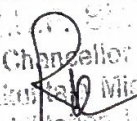
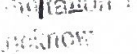
(आचार्य) (प्रति)

उप-आचार्य (अध्यक्ष)
विश्वविद्यालय

(Prof. R. P. Singh)
Vice-Chancellor

	महिला छात्रावास के निर्माण कार्य के लिए अल्प धनराशि के रूप में ₹0-5.00 करोड़ की मांग उ0प्र0 शासन से किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
6/25	विश्वविद्यालय के विशेष अनुरक्षण कार्यों हेतु आय-व्यय अनुमान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। समिति को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु लेखाशीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत मानक मद सं0-24 वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत धनराशि ₹0 26.73 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। सञ्ज्ञानित कराना है कि विश्वविद्यालय के नवनिर्मित विभिन्न भवनों का हस्तांतरण हुए लगभग 06-07 वर्ष से अधिक पूर्ण हो चुके हैं। विगत कई वर्षों से परिसर के विभिन्न भवनों का अनुरक्षण कार्य न होने के कारण जगह-जगह पर जल भराव, दीवारों पर सीलन, दीवारों के टाइल्स, कक्षाओं में फर्श, फ्लोर टाइल्स की टूटफूट, शौचालयों में पानी के पाइपों में होने वाली टूटफूट तथा रैम्प आदि के खराब होने के कारण दिव्यांग विद्यार्थियों विशेषकर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के चोटिल होने की संभावना बनी रहती है। इसी के दृष्टिगत दिव्यांग विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न भवनों में जगह-जगह पर मरम्मत एवं विशेष अनुरक्षण संबंधी कार्य कराये जाने प्रस्तावित है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत परिव्यय के लिए 24-वृहद निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के दृष्टिगत अनुदान संख्या-79 के लेखा शीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत मद के अधीन अल्प धनराशि ₹0 5.00 करोड़ का बजट प्राविधान कराने हेतु उ0प्र0 शासन से मांग की गयी है, जिस पर वित्त समिति से अनुमोदन प्रार्थित है। निर्णय:-वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु विश्वविद्यालय के विशेष अनुरक्षण कार्यों हेतु पूंजीगत मद में धनराशि ₹0 5.00 करोड़ की मांग उ0प्र0 शासन से किये जाने पर अनुमोदन प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर एक डेवलेपमेन्ट कमेटी का गठन कर कार्यदायी संस्था से विस्तृत आगणन प्राप्त कर कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश प्रदान किये गये।
7/25	विश्वविद्यालय के लेखाकारों को शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार देय तिथि से प्रोन्नति का लाभ अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में।
	निर्णय:-वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव को मा0 कार्यपरिषद की आगामी बैठक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।
8/25	विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकवृन्द को कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के तहत प्रोन्नति का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार।
	निर्णय:-वित्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुए सहमति व्यक्त की गयी।
9/25	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु:-
(1)	वित्त समिति द्वारा पी.जी.मेडिकल पाठ्यक्रमों-M.D In Biochemistry /Pharmacology/Pathology /Microbiology/community Medicine के शुल्क निर्धारण एवं सम्बद्धता तथा इण्डोमेन्ट फण्ड के रूप में ली जाने वाली धनराशि के निर्धारण कराये जाने संबंधी प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त अन्य संस्थानों में लागू व्यवस्था की जानकारी कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
(2)	वित्त समिति द्वारा खेलकूद एवं योग प्रकोष्ठ से सम्बन्धित बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अनुमोदन के सम्बन्ध में निर्गत कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

Dr.   3
(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

Vice-Chancellor
Dr.  
Vice-Chancellor

(3)

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय में समय-समय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों / गोष्ठियों / सेमिनारों में आमंत्रित अतिथियों तथा परीक्षाओं में आने वाले वाह्य विशेषज्ञों के ठहरने हेतु 10 कमरों के गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य विश्वविद्यालय के निजी स्रोतों से कराने के निर्देश प्रदान किये गये।

अन्त में वित्त समिति की बैठक का समापन सधन्यवाद किया गया।



(सचिव कुमार सिंह)

सचिव

डॉ. पुनर्ला मिश्रा

राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

लखनऊ



Dr. P. K. Singh